भारी उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 48

भारी उद्योग विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	584.99	311.56	896.55	927.85	67.42	995.27	1053.95	127.05	1181.00	3213.79	92.21	3306.00
वसूलियां	*-29.65*	*...*	-29.65	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**555.34**	**311.56**	**866.90**	**927.85**	**67.42**	**995.27**	**1053.95**	**127.05**	**1181.00**	**3213.79**	**92.21**	**3306.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	32.39	...	32.39	41.09	...	41.09	30.68	...	30.68	32.93	...	32.93
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास												
2. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)	...	114.30	114.30	...	67.22	67.22	...	...	...	...	...	...
3. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया)	318.35	...	318.35	756.66	...	756.66	800.00	...	800.00	2908.28	...	2908.28
4. आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद	13.51	...	13.51	15.00	...	15.00	5.00	17.00	22.00	5.00	23.62	28.62
5. ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन सम्बध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00
6. राष्ट्रीय उन्नत रसायन प्रकोष्ट (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन सम्बध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50	3.00	...	3.00
जोड़-ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास	**331.86**	**114.30**	**446.16**	**771.66**	**67.22**	**838.88**	**809.00**	**17.00**	**826.00**	**2919.28**	**23.62**	**2942.90**
पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि	54.22	...	54.22	97.59	...	97.59	29.00	...	29.00	200.00	...	200.00
8. संवर्धनात्मक कार्यकलाप आरंभ करने के लिए उद्योग संघ और सार्वजनिक उपक्रम	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.25	...	0.25
जोड़-पूंजीगत वस्तु क्षेत्रों का विकास	**54.27**	**...**	**54.27**	**98.09**	**...**	**98.09**	**29.05**	**...**	**29.05**	**200.25**	**...**	**200.25**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**386.13**	**114.30**	**500.43**	**869.75**	**67.22**	**936.97**	**838.05**	**17.00**	**855.05**	**3119.53**	**23.62**	**3143.15**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
9. केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)	18.00	...	18.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	24.00	...	24.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
10. सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को सहायता	148.47	197.26	345.73	2.01	0.20	2.21	170.22	110.05	280.27	37.33	68.59	105.92
अन्य												
11. वास्तविक वसूली	-29.65	...	-29.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**136.82**	**197.26**	**334.08**	**17.01**	**0.20**	**17.21**	**185.22**	**110.05**	**295.27**	**61.33**	**68.59**	**129.92**
कुल जोड़	***555.34***	***311.56***	***866.90***	***927.85***	***67.42***	***995.27***	***1053.95***	***127.05***	***1181.00***	***3213.79***	***92.21***	***3306.00***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	522.95	...	522.95	886.76	...	886.76	1023.27	...	1023.27	3180.86	...	3180.86
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	32.39	...	32.39	41.09	...	41.09	30.68	...	30.68	32.93	...	32.93
3. अभियांत्रिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	0.05	0.05	...	...	...	...	0.05	0.05
4. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	92.95	92.95	...	0.02	0.02	...	78.41	78.41	...	44.30	44.30
5. सीमेंट और अधातु खनिज उद्योगों के लिए ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
6. अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	155.30	155.30	...	67.30	67.30	...	17.00	17.00	...	47.81	47.81
7. उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	...	63.31	63.31	...	0.04	0.04	...	31.64	31.64	...	0.04	0.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**555.34**	**311.56**	**866.90**	**927.85**	**67.42**	**995.27**	**1053.95**	**127.05**	**1181.00**	**3213.79**	**92.21**	**3306.00**
कुल जोड़	**555.34**	**311.56**	**866.90**	**927.85**	**67.42**	**995.27**	**1053.95**	**127.05**	**1181.00**	**3213.79**	**92.21**	**3306.00**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर	जोड़	बजट सहायता	आईडीबीआर.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश												
1. भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	...	188.00	188.00	...	252.00	252.00	...	226.00	226.00	...	223.00	223.00
2. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
3. स्कूटर इंडिया लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
4. एचएमटी लिमिटेड	...	2.29	2.29	0.01	26.20	26.21	...	6.71	6.71	0.01	25.20	25.21
5. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
6. एण्ड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	...	12.87	12.87	...	23.00	23.00	...	20.31	20.31	...	23.50	23.50
7. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	...	1.01	1.01	...	3.00	3.00	...	2.50	2.50	...	2.25	2.25
8. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	...	0.13	0.13	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	...	6.38	6.38	...	25.00	25.00	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
10. रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
11. ब्रेथवेट बर्न जेसोप कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	...	0.72	0.72	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
12. नेपा लिमिटेड	92.95	...	92.95	0.01	...	0.01	78.41	...	78.41	44.29	...	44.29
13. हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
14. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	...	11.71	11.71	...	47.75	47.75	...	28.31	28.31	...	57.89	57.89
जोड़	**92.95**	**223.11**	**316.06**	**0.07**	**377.95**	**378.02**	**78.41**	**287.83**	**366.24**	**44.35**	**337.84**	**382.19**

1. **सचिवालय:** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है ।

3. **भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार करने और विनिर्माण हेतु योजना-(फेम इंडिया):** इस योजना के माध्यम से लोगों को स्वच्छ परिवहन साधन उपलबध कराने हेतु जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढाना देने की एक पहल इस विभाग ने प्रारंभ की है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान रखा गया है।

4. **आटोमोबाइल और एलाइड उद्योगों के लिए विकास परिषद:** डीसीएएआई-प्रावधान को यूएनआईडीओ-एसीएमए-डीएचआई परियोजना पर होने वाले खर्च के लिए अनुदान के रूप में और संस्थानों/संगठनों को विभिन्न आर एंड डी परियोजनाओं के लिए (प्रतिबद्ध दायित्व के रूप में) रखा गया है।

एनएबी/नैट्रिप- एनएबी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले ऋणों के शेष भाग के अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एनएटीआरआईपी परियोजना को निर्बाध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रावधान किया गया है।

5. **ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन सम्बध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना है। ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई योजना में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वितीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, व्यापक मितव्ययी योजना तैयार करना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी पैदा होगा। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मानिर्भर भारत पहल में सहायक होगी।

6. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन सम्बध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** एसीसी बैटरी के लिए पीएलआई योजना देश में प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी सेट-अप स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करती है। एसीसी उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की नई पीढ़ी है जो विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत बिजली ग्रिड, सोलर रूफटॉप आदि जैसे प्रमुख बैटरी खपत वाले क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है। यह योजना आयात निर्भरता को कम करेगी और आत्मानिर्भर भारत पहल में सहायक होगी।

7. **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि:** इस योजना का उद्देश्य देश में औद्योगिक आधार को विकसित करने के लिए विभाग की बड़ी स्थायी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, उद्योगों को कौशल और प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करने के लिए आधुनिक साझा सुविधा केन्द्रों और सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर पार्कों की स्थापना की जाएगी।

8. **उद्योग संघों और सार्वजनिक उपक्रमों के उन्नयन संबंधी गतिविधियाँ:** औद्योगिक संघों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संवर्धनात्मक कार्यकलाप करने के लिए प्रावधान किया गया है।

9. **केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान:** सीएमटीआई एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यवहारिक प्रयोजनों तथा देश में प्रौद्योगिकी की वृद्धि में मदद करने के लिए अपने प्रयास मुख्य रूप से विनिर्माण प्रौद्योगिकी सेक्टर में ज्ञान अर्जित करने पर केन्द्रित करता है। संस्थान के कर्मचारियों के वेतन के आंशिक भुगतान के लिए प्रावधान रखा गया है।

10. **सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को सहायता:** सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों को दी गई बजटीय सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान और उसमें निवेश: एचएसएल के पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए और इसके नमक उत्पादन में वृद्धि करने तथा मशीनरी और अवसंरचना आदि के आधुनिकीकरण हेतु प्रावधान किया गया है।